

21⁶/₂₄

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपाध्याय विपक्षी के सम्मन बाद तामिल होकर रजिठ व डिसेबरी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शाह पठ किया गया। विपक्षीगण अन्तु विपक्षीगण को कितनी मर्तबा कक-कक कर आवाजे दिखायी जाने के बाद भी उपाध्याय नहीं, इनके विकट एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का पत्र स्वीकार किया जाकर शिर्षप पत्रक से लिखा जाकर शाह पठ किया गया। पत्रावली फल शुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



नम्बर व
अहकाम
दुकम की
में जारी

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसील अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

फाइल संख्या - 135/24 प्राप्ता

श्री हरि 5/0 गंगाराम भील निवासी- खातलारा तहसील-माण्डल

सनाम

श्री नारायण 5/0 गणेश भील निवासी- खातलारा तहसील-माण्डल (कौरो)
(प्रखण्डित प्राप्ता रा.कं.०)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 21-6-24

::आदेश::

श्री ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निम्नलिखित क
कापडिया.....पटवार हल्का.....खातलारा.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते नं
नं० 1141/968.....कुल किता.....01.....रकबा.....0.7588.....हेक्टर स्थित है। वादग्रस्त भूमि
क्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होया
। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11-6-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
नार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का
है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए
की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर प्राप्ता कापडिया.....पटवार
खातलारा.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 1141/968.....
किता.....01.....रकबा.....0.7588.....हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये
पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लिसवा
560.....रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे
स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर
नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजाकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा